<u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी</u> जिला—अशोकनगर म०प्र०

<u>दांडिक प्रकरण क.— 412 / 1</u>3 संस्थित दिनांक—02.03.2013

बृजभान सिंह पुत्र काशीराम लोधी आयु 35 साल धंधा खेती निवासी ग्राम गोरा सहराई थाना चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....परिवादी

विरुद्ध

संग्राम सिंह पुत्र मेहरबान सिंह लोधी आयु 38 साल धंधा खेती व दुकान दारी निवासी ग्राम गोरा सहराई थाना चंदेरी जिला— अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

-: <u>निर्णय</u> :-

(आज दिनांक 06.07.2017 को घोषित)

- 01— अभियुक्त के विरूद्ध भा0द0वि0 457, 380 के तहत् दण्डनीय अपराध के यह आरोप है कि उसने दिनांक 31.01.2013 एवं 01.02.2013 की दरिमयानी रात में परिवादी बृजभान सिंह लोधी के घर स्थित ग्राम गोरा सहरई चंदेरी अंतर्गत थाना चंदेरी जो मानव निवास या संपत्ति की अभिरक्षा के लिये उपयोग में आता है, में सूर्य अस्त के पश्चात् तथा सूर्य उदय से पूर्व कमरे का ताला तोडकर प्रवेश करके रात्रों गृहभेदन कारित कर कमरे में रखी एक पेटी जिसमें भू—अधिकार ऋण पुस्तिकाये, चार रिजस्टिरयां बंदूक लाइसेंस नवीनीकरण, रसीद बैंक की जमा रसीद, कॉपरेटिव बैंक के खाते की किताब, मोटर साइकिल, चॉदी की पायले वजन करीबन आधा किलो० कर धोनी, आठ आने के सोने के दो मंगलसूत्र जिनमें एक टूटा हुआ था, साडियां एवं 20000/— रूपये नगद आदि की चोरी कारित की।
- 02—परिवाद पत्र संक्षेप में इस प्रकार है परिवादी दिनांक 31.01.13 की रात्रि में अपने खेत पर पानी देने के लिये चला गया था, तो अभियुक्त ने उसके घर में घुसकर ताला तोड कर एक पेटी, जिसमें भू—अधिकार ऋण पुस्तिकाये, चार रिजस्टिरयां बंदूक लाइसेंस नवीनीकरण, रसीद बैंक की जमा रसीद, कॉपरेटिव बैंक के खाते की किताब, मोटर साइकिल, चॉदी की पायले वजन करीबन आधा किलो0 कर धोनी, आठ आने के सोने के दो मंगलसूत्र जिनमें एक टूटा हुआ था, साडियां एवं 20000/— रूपये नगद थे, चुरा ली थी, घटना की रात्रि में अभियुक्त को संदिग्ध अवस्था में उसके भाई राजेश कुमार व रमेश कुमार ने देखा था। परिवादी जब सुबह खेत से वापस आया तो उसे घर का ताला टूटा हुआ मिला और पेटी गायब मिली तो पूछने पर राजेश कुमार और रमेश कुमार ने उसे अभियुक्त के बारे में जानकारी दी। परिवादी ने पुलिस चौकी थूबोन में चोरी की सूचना दी थी जहां उसके चौकी

पर हस्ताक्षर करा लिये थे, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिसके बाद दिनांक 13.02.13 को पुनः पुलिस थाना चंदेरी में एवं दिनांक 21.02.13 को पुलिस अधीक्षक अशोकनगर के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर हुयी कार्यवाही का परिवादी को जानकारी नहीं है अभियुक्त परिवादी को धमकी देता है तथा गाली गलौच करता था गाव वालों ने उसके पास पांच पाच सौ रूपये के नोट देखे हैं। अतः यह परिवाद अभियुक्त के विरुद्ध भादवि की धारा 294, 380, 457, 506 बी के अंतर्गत न्यायालय में प्रस्तुत है।

- 03— अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध का आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।
- 04- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 31.01.13 एवं दिनांक 01.02.2013 की दरमियानी रात में परिवादी बृजभान सिंह लोधी के कब्जें के मकान स्थित ग्राम गोरा सहरई अंतर्गत थाना चंदेरी में, जो मानव निवास अथवा संपत्ति की अभिरक्षा के लिये उपयोग में आता है, में सूर्य अस्त के पश्चात् तथा सूर्य उदय से पूर्व प्रवेश कर रात्रों गृहभेदन किया ?
 - 2. क्या उक्त दिनांक समय व स्थान से परिवादी के अधिपत्य से भू—अधिकार ऋण पुस्तिकाये, चार रिजस्टिरयां बंदूक लाइसेंस नवीनीकरण, रसीद बैंक की जमा रसीद, कॉपरेटिव बैंक के खाते की किताब, मोटर साइकिल, चॉदी की पायले वजन करीबन आधा किलों कर धोनी, आठ आने के सोने के दो मंगलसूत्र जिनमें एक टूटा हुआ था, साडियां एवं 20000 / रूपये नगद की चोरी हुयी ?
 - उसकी निशानदेही से भू—अधिकार ऋण पुस्तिकाये, चार रिजस्टिरयां बंदूक लाइसेंस नवीनीकरण, रसीद बैंक की जमा रसीद, कॉपरेटिव बैंक के खाते की किताब, मोटर साइकिल, चॉदी की पायले वजन करीबन आधा किलो० कर धोनी, आठ आने के सोने के दो मंगलसूत्र जिनमें एक टूटा हुआ था, साडियां एवं 20000 / रूपये नगद बरामदगी हुयी ?

- 4 यदि हां तो क्या अभियुक्त के अधिपत्य से बरामद भू—अधिकार ऋण पुस्तिकाये, चार रिजस्टिरयां बंदूक लाइसेंस नवीनीकरण, रसीद बैंक की जमा रसीद, कॉपरेटिव बैंक के खाते की किताब, मोटर साइकिल, चॉदी की पायले वजन करीबन आधा किलो० कर धोनी, आठ आने के सोने के दो मंगलसूत्र जिनमें एक टूटा हुआ था, साडियां एवं 20000/— रूपये नगद वहीं हैं, जो परिवादी के अधिपत्य से घटना दिनांक समय व स्थान से चोरी हुआ था?
- 5. |दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:सकारण निष्कर्ष:-

विचारणीय प्रश्न कमांक 1 व 2 का विवेचना एवं निष्कर्ष:—

- 05— सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आयी साक्ष्य की पुनवृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जा रहा है। परिवादी पक्ष की ओर से स्वयं परिवादी बृजभान सिंह (प0सा0—2) सिहत अपने समर्थन में राजेश लोधी (प0सा0—1) व रमेश (प0सा0—3) के कथन न्यायालय में कराये गये। घटना के संबंध में परिवादी बृजभान सिंह (प0सा0—2) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि उसके कमरे में रखा बक्सा चार साल पहले रात्रि में चोरी हो गया था। परिवादी के अनुसार घटना के समय वह पानी के लिये खेत पर गया था और वह जब वह सुबह लोट कर आया, तो उसे कमरे का ताला टूटा हुआ मिला था तथा कमरे के अंदर जाकर देखने पर उसे कमरे में रखा हुआ बक्सा नहीं मिला जिसमें उसका बदूक लाईसेंस, भूमि कि किताबें, रजिस्टीं, 20000 रूपये नकद, आधा किलो चांदी के पायले, आधा किलो चांदी करधनी, व सोने का मंगल सूत्र, साडी रखी थी। इस साक्षी के अनुसार आसपास पता करने पर राजेश (प0सा0—1) व रमेश (प0सा0—3) ने अभियुक्त संग्राम सिंह के द्वारा बक्सा चोरी कर के ले जाना बताया गया था।
- 06— परिवादी बृजभान सिंह (प0सा0—2) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों के अनुसार उसने स्वयं अभुियक्त को घर में घुस कर चोरी करने एवं उसके पश्चात् कमरे से बक्सा चुराकर ले जाते हुये, नही देखा था। बल्कि उसे इस संबंध में राजेश (प0सा0—1) व रमेश (प0सा0—3) ने बताया था। प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि राजेश (प0सा0—1) व रमेश (प0सा0—3) एवं परिवादी में आपस में सगे भाई हैं, इस तथ्य को इन सभी साक्षियों ने अपने प्रतिपरिक्षण में स्वीकार किया है। परिवादी बृजभान सिंह (प0सा0—2) का अपने कथनों में यह भी कहना है कि घटना के समय वह अपने खेत पर था तथा दूसरे दिन सुबह घर वापस लौटने पर कमरे का ताला टूटा हुआ देखने पर उसे चोरी की जानकारी हुयी थी। बृजभान सिंह (प0सा0—2) का ही कहना है कि उसने उसी दिन चोरी की घटना की सूचना पुलिस चौकी थूबोन पर दी थी, जिसके बाद उसकी शिकायत पर से रिपोर्ट हुयी थी।

परिवादी की ओर से अपने समर्थन में पुलिस थाना चंदेरी में परिवादी के आवेदन दिनांक 01.02.2013 पर से दर्ज की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 2 की कार्बन प्रति प्रकरण में प्रस्तुत की गयी है।

- 07— यह उल्लेखनीय है कि परिवादी के आवेदन पर से दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रथिपि 2 के अनुसार घटना दिनांक को परिवादी अपने घर पर ही थी जो दिनांक 31.01.13 को खाना पीना खाकर घर में ही सो गया था और सुबह पांच बजे कमरे पर जाकर कमरे का ताला टूटा देख कर उसे चोरी की जानकारी हुयी थी। अतः फरियादी घटना की रात्रि खेत पर इसकी पुष्टि उसके आवेदन पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 2 से नहीं होती है। वहीं परिवाद पत्र में भी परिवादी का यह कहना है कि वह रात्रि में खेत पर था एवं घटना के दूसरे दिन थाने पर दिये गये आवेदन में रात्रि में घर पर होना लेख कराना, इस संबंध में स्पष्ट रूप से विरोधाभाष दर्शित करता है कि वास्तव में परिवादी द्वारा कथित घटना की रात्रि में परिवादी कहा था।
- 08— परिवादी का अपने कथनों में कहना है कि उसे संग्राम सिंह द्वारा कमरे से बक्सा चोरी के करने के संबंध में उसके भाई राजेश (प0सा0—1) व रमेश (प0सा0—3) ने बताया था। अतः परिवादी के न्यायालय में दिये गये कथनों के अनुसार अभियुक्त को बक्सा चोरी करते हुये राजेश (प0सा0—1) व रमेश (प0सा0—3) ने देखा था। परन्तु परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कही भी स्पष्ट नही किया है कि वास्तव में राजेश (प0सा0—1) व रमेश (प0सा0—3) ने अभियुक्त को उसके कमरे में रात्रि में प्रवेश करते हुये अथवा कमरे से बक्सा चोरी करते ले जाते हुये देखा था। परिवाद पत्र में परिवादी का मात्र यह कहना है कि संग्राम सिंह के बारे में उसे राजेश (प0सा0—1) व रमेश (प0सा0—3) ने जानकारी दी थी, परन्तु क्या जानकारी दी थी, इसका कोई उल्लेख परिवाद पत्र में नहीं है।
- 09— परिवादी बृजभान (प0सा0—2) के कथनों में एवं प्रस्तुत परिवाद पत्र में बतायी गयी घटना से यह तो स्पष्ट है कि स्वयं बृजभान (प0सा0—2) ने अभियुक्त को उसके कमरे में प्रवेश कर बक्सें को चोरी करके ले जाते हुये नहीं देखा था, बल्कि परिवादी बृजभान सिंह (प0सा0—2) का अभियुक्त संग्राम सिंह पर बक्सा चोरी करने का लगाया गया आरोप का आधार उसके भाई राजेश (प0सा0—1) व रमेश (प0सा0—3) के द्वारा उसे दी गयी जानकारी है। अतः मुख्य रूप से यह देखा जाना है कि राजेश (प0सा0—1) व रमेश (प0सा0—3) के द्वारा अभियुक्त को परिवादी के कमरे से चोरी करते हुये देखा गया था अथवा नहीं ? तथा वास्तव में उनके द्वारा परिवादी बृजभान (प0सा0—2) को घटना के बाद अभियुक्त द्वारा बक्सा चोरी किये जाने के संबंध में जानकारी दी गयी अथवा नहीं ? एवं उनके द्वारा अभियुक्त के संबंध में परिवादी को दी गयी जानकारी विश्वसनीय है अथवा नहीं ?
- 10— राजेश लोधी (प0सा0—1) का अपने कथनों में कहना है परिवादी बृजभान (प0सा0—2) का घर उसके घर के पीछे हैं। इस साक्षी के अनुसार ढाई वर्ष पूर्व रात्रि दो ढाई बजे वह पेशाब करने के लिये उठा था तो उसने परिवादी बृजभान (प0सा0—2) के कमरे के किबाड खुले देखे थे और उसने अभियुक्त संग्राम सिंह को बृजभान के कमरे से पेटी हाथ में लिये हुये निकलते हुये देखा था तथा उसने संग्राम सिंह को पकडा तो वह धक्का देकर भाग गया,

जिसे वह अपने पैरों परेशानी होने के कारण पीछे दौड कर नही पकड पाया, इस साक्षी का कहना है कि उसके चिल्लाने पर रमेश (प0सा0—3) मौके पर आ गया था, जिसने भी अभियुक्त संग्राम सिंह को भागते हुये देखा था।

- 11— प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि बृजभान (प0सा0—2) राजेश लोधी (प0सा0—1) व रमेश लोधी (प0सा0—3) आपस में सगे भाई हैं तथा इन तीनों के मकान ग्राम गोरा में पास पास में हैं यह इन तीनों ही साक्षियों ने अपने अपने कथनों में स्वीकार किया हैं अतः स्पष्ट है कि परिवादी बृजभान (प0सा0—2) के द्वारा घटना के संबंध में कोई स्वतंत्र साक्ष्य न कराते हुये, अपने भाईयों की साक्ष्य न्यायालय में करायी गयी। यह उल्लेखनीय है कि विधि द्वारा सुस्थापित है कि हितबद्ध सिक्षयों की साक्ष्य मात्र इस कारण से नही नकारी जा सकती हैं कि साक्ष्य देने में उनका हित छिपा हुआ है। हित बद्ध साक्षियों की भी साक्ष्य का मूल्याकनं अन्य साक्षियों की तरह किया जाता है परन्तु हितबद्ध साक्षी होने के कारण साक्षियों की साक्ष्य की विश्वसनीयता के संबंध में इन साक्षियों का साक्ष्य का सूक्ष्म मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है।
- 12— बृजभान (प0सा0—2) स्वयं घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नही है। अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत करने का आधार राजेश (प0सा0—1) व रमेश (प0सा0—3) के द्वारा दी गयी जानकारी है। बृजभान (प0सा0—2) का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका पांच में कहना है कि उसने घटना वाले दिन ही चौकी पर सूचना दे दी थी। परिवादी की ओर से प्रकरण में प्रदर्श पी 2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की कार्बन प्रति प्रस्तुत की गयी है, उक्त रिपोर्ट दिनांक 01.02.13 जो घटना की रात्रि के दूसरे दिन परिवादी बृजभान (प0सा0—2) के द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर लेखबद्ध की गयी। अतः प्रदर्श पी 2 से परिवादी बृजभान (प0सा0—2) के कथनों की पुष्टि होती है कि उसने घटना के दूसरे दिन पुलिस थाना चंदेरी में चोरी के घटना के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया था।
- 13— परिवादी बृजभान (प0सा0—2) की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श पी 2 की रिपार्ट स्वयं परिवादी के द्व ारा थाने पर दिये गये आवेदन के आधार पर लेखबद्ध की गयी है, जो कि अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध लेखबद्ध की गयी है, जिसमें संदेही के तौर पर अभियुक्त संग्राम का नाम लेख कराया गया है। यह उल्लेखनीय है कि राजेश लोधी (प0सा0—1) व रमेश लोधी (प0सा0—3) परिवादी बृजभान (प0सा0—2) के सगे भाई हैं, जिनमें राजेश लोधी (प0सा0—1) घटना की रात्रि को अभियुक्त को परिवादी के कमरे से पेटी की चोरी करके ले जाते हुये देखना बताता है और उसे पकड़ने पर अभियुक्त द्वारा उसे धक्का देकर भाग जाना भी बताता है। वही राजेश लोधी उसके चिल्लाने पर मौके पर रमेश लोधी के उपस्थित होने तथा उसके द्वारा भी अभियुक्त को मोके से भागते हुये देखना बताता है। परन्तु स्वयं रमेश लोधी (प0सा0—3) ने राजेश लोधी (प0सा0—1) के द्वारा न्यायालय में बतायी गयी घटना से अलग कथन दिये हैं।
- 14— रमेश लोधी (प0सा0—3) का कहना है कि वह घटना दिनांक की रात्रि को मोटर चलाने के लिये रात्रि लगभग 12—01 बजे ट्यूब बैल पर गया था जहां उसने संग्राम सिंह को बक्सा लेकर भागते हुये देखा था। रमेश (प0सा0—3) का अपने प्रतिपरीक्षण में यह कहना है कि

घटना के समय वह अपने खेत पर जा रहा था, तो उसे रास्तें में संग्राम सिंह बक्सा लिये मिला था। इस साक्षी का प्रतिपरीक्षण की कण्डिका दो में कहना है कि संग्राम सिंह को उसने 25 फीट दूर से देखा था तथा संग्राम सिंह आगे जा रहा था उसे उसने पीठ की तरफ से देखा था। चेहरा नहीं देखा था ओर न ही उसने आवाज लगाकर उसे रोका था। इस साक्षी का प्रतिपरीक्षण की कण्डिका एक में कहना है कि अभियुक्त संग्राम सिंह को उसके अलावा किसी और ने रास्तें में नहीं देखा।

- 15— रमेश (प0सा0—3) के उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि वह मोके पर राजेश लोधी (प0सा0—1) के चिल्लाने की आवाज सुनकर नहीं पहुंचा था और न ही उसके अलावा राजेश लोधी (प0सा0—1) ने अभियुक्त को मौके से भागते हुये देखा था। अतः राजेश लोधी (प0सा0—1) के द्वारा रमेश (प0सा0—3) के घटना स्थल पर पहुंच कर अभियुक्त को भागते हुये देखने के संबंध में दिये गये कथनों का खण्डन स्वयं रमेश (प0सा0—3) ने अपने न्यायालीन कथनों में किया है, जिससे राजेश लोधी (प0सा0—1) के रमेश (प0सा0—3) की घटना स्थल पर उसके चिल्लाने पर उपस्थित होने एवं अभियुक्त को भागते हुये देखने के संबंध में दिये गये कथन विश्वसनीय नहीं है।
- 16— रमेश (प0सा0—3) का अपने प्रतिपरीक्षण की किण्डका 2 व 3 में यह कहना है कि उसे बृजभान (प0सा0—2) के घर में हुयी चोरी की जानकारी सुबह लगी थी, जो उसके माता पिता ने सुबह बतायी थी, तब उसने अपने घर पर बताया था कि रास्तें में उसे संग्राम सिंह जाते हुये दिखा था। इस साक्षी के उपरोक्त कथन यह स्पष्ट करते है कि रात्रि में राजेश लोधी (प0सा0—1) से उसकी कोई बात नहीं हुयी। अतः ऐसे में राजेश लोधी (प0सा0—1) के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके मौके पर पहुंचने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इस साक्षी का कहना है कि उसे चोरी की जानकारी सुबह लगी थी, जिससे स्पष्ट है कि रात्रि में न तो उसने अभियुक्त को बृजभान (प0सा0—2) के घर से निकलते हुये देखा और न ही बक्सा चोरी करते हुये ले जाते हुये देखा था। मात्र संग्राम सिंह को रात्रि के समय रास्तें में बक्सा लिये हुये मिलने के आधार पर वह अभियुक्त के द्वारा चोरी की घटना कारित किया जाना बता रहा है।
- 17— यह उल्लेखनीय है कि राजेश लोधी (प0सा0—1) परिवादी बृजभान (प0सा0—2) का सगा भाई है। यदि रात्रि के समय उसने स्वयं ने अभियुक्त को बृजभान (प0सा0—2) के घर से निकलते हुये तथा चोरी का बक्सा ले जाते हुये देखा था और अभियुक्त उसे धक्का देकर भागा था, तो इस संबंध में कोई संदेह ही नहीं होना चाहिए था कि अभियुक्त संग्राम सिंह के द्वारा ही चोरी की घटना कारित की गयी थीं, परन्तु उसके बाद भी घटना के दूसरे दिन परिवादी के द्वारा मात्र संदेह के तौर पर अभियुक्त के विरुद्ध थाने पर आवेदन देना तथा राजेश लोधी (प0सा0—1) के द्वारा न्यायालय में बतायी गयी घटना का अपने आवेदन में उल्लेख न करना निश्चित रूप से राजेश लोधी (प0सा0—1) के न्यायालीन कथनों में बतायी गयी घटना को संदेहस्पाद बनाता है। क्योंकि यदि राजेश लोधी (प0सा0—1) के द्वारा न्यायालय में बतायी गयी घटना सत्य होती तो निश्चित रूप से घटना के तुरन्त बाद थाने पर दिये गये आवेदन में इस घटना का उल्लेख अवश्य होता और अभियुक्त के विरुद्ध थाने पर दिये गये आवेदन संदेही के तौर पर न होकर नामजद रिपोर्ट करने के संबंध में होता।

- 18— परिवादी बृजभान सिंह (प०सा0—2) की ओर से प्रस्तुत परिवादी पत्र में भी मात्र यह उल्लेख है कि उसके भाई राजेश (प०सा0—1) व रमेश (प०सा0—3) ने उसे संग्राम सिंह के बारे में जानकारी दी थी, इन दोनों व्यक्तियों ने बृजभान सिंह (प०सा0—2) को अभियुक्त के संबंध में क्या जानकारी दी यह परिवाद पत्र में भी स्पष्ट नहीं है। यदि राजेश लोधी (प०सा0—1) के द्वारा धटना दिनांक को अभियुक्त को परिवाद के कमरे से बाहर निकलते हुये बक्सा चोरी करते हुये ले जाते हुये देखा गया होता तथा अभियुक्त इस घटना राजेश लोधी (प०सा0—1) को धक्का देकर भागा होता, तो इसका उल्लेख परिवाद पत्र में होना स्वाभाविक होता तथा भाई होने के नाते बृजभान (प०सा0—2) व रमेश (प०सा0—3) भी राजेश (प०सा0—1) के न्यायालय में दिये गये कथनों की पुष्टि करती, परन्तु बृजभान (प०सा0—2) व रमेश (प०सा0—3) का कही भी यह कहना नही है कि राजेश लोधी (प०सा0—1) ने अभियुक्त को कमरे से बक्सा चोरी करके ले जाते हुये देखा था और अभियुक्त ने भागते समय राजेश लोधी (प०सा0—1) को धक्का दिया था। राजेश लोधी (प०सा0—1) के कथनों के विपरीत रमेश (प०सा0—3) मात्र अकेले स्वयं ही अभियुक्त को रास्ते में देखना बताता है और चोरी की घटना की जानकारी सुबह होना बताता है।
- 19— यदि राजेश लोधी (प0सा0—1) के द्वारा न्यायालय में कथित घटना सत्य होती तो रात्रि में ही रमेश (प0सा0—3) को इस संबंध में जानकारी होती और थाने पर संदेही के तौर पर परिवादी द्वारा अभियुक्त के नाम का आवेदन नहीं दिया जाता है। बृजभान (प0सा0—2) अपने कथनों में यह कहता है कि वह जब सुबह खेत से लौटकर आया तो उसे कमरे का ताला टूटा हुआ मिला था और आसपास पता करने पर उसे रमेश (प0सा0—3) व राजेश (प0सा0—2) ने बताया था कि अभियुक्त सग्राम सिंह बक्सा चोरी करके ले गया। अतः परिवादी बृजभान सिंह (प0सा0—2) के अनुसार सुबह ताला टूटा हुआ मिलने पर एवं पूछताछ करने पर उसे उसके भाईयों ने अभियुक्त के बारे में बताया था। परिवादी का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका दो में कहना हे कि घटना के आठ दिन बाद उसी के ग्राम के जसरथ के नाती के दष्टौन के कार्यक्रम में अभियुक्त ने भीड के सामने चोरी किया जाना स्वीकार किया था, इसके पहले उसे पता नहीं था कि अभियुक्त ने चोरी की है। अतः परिवादी बृजभान सिंह (प0सा0—2) के स्वयं के कथन इस संबंघ में विरोधाभासी है कि वास्तव में उसे अभियुक्त द्वारा बक्सा चोरी किये जाने की जानकारी कब हुयी।
- 20— परिवादी के द्वारा दिये गये अभियुक्त के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के संबंध में दिये गये उपरोक्त दोनों कथनों को देखा जाये तो उपरोक्त कथनों से ही राजेश लोधी (प0सा0—1) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन अविश्वसनीय हैं हो जाते हैं, क्योंकि यदि राजेश लोधी (प0सा0—1) के द्वारा बतायी गयी घटना सत्य होती, तो घटना की जानकारी रात्रि मे ही बृजभान (प0सा0—2) का सगा भाई होने के नाते मिल गयी होती न कि उसे पूछने पर जानकारी दी जाती और न ही आठ दिन बाद दष्टोन के कार्यक्रम में अभियुक्त के द्वारा स्वयं बताये जाने पर परिवादी को चोरी की जानकारी प्राप्त होतीं। जब परिवादी का स्वतः यह कहना है कि उसे आठ दिन बाद अभियुक्त के स्वयं के बताने पर अभियुक्त द्वारा चोरी किये जाने की जानकारी मिली थी तो उससे राजेश लोधी (प0सा0—1) व रमेश लोधी (प0सा0—3) के द्वारा घटना दिनांक की रात्रि में अभियुक्त को बक्सा चोरी करते हुये ले जाते हुये कि घटना असत्य हो जाती।

- 21— यह उल्लेखनीय है कि परिवाद पर हुयी जांच पर प्रस्तुत की गयी जांच रिपोर्ट प्रकरण में संलग्न हैं, जिसमें जांच के दौरान परिवादी सिहत अन्य साक्षियों के कथन भी पुलिस द्वारा लिये गये। परिवादी सिहत उसके भाई राजेश लोधी (प0सा0—1) व रमेश लोधी (प0सा0—3) के द्वारा पुलिस को दिये गये कथन एवं न्यायालय में दिये गये कथनों में भी गंभीर विरोधाभास की स्थिति है परिवादी घटना दिनांक को रात्रि में अपने खेत पर होना बताता है तथा सुबह खेत से आने पर घटना की जानकारी होना बताता है। बृजभान सिंह (प0सा0—2) अपने पतिपरीक्षण की कण्डिका चार में यह कहता है कि घटना वाले दिन वह अपने खेत पर था घर पर नही था, परन्तु पुलिस को दिये गये कथनों में एवं स्वयं थाने पर दिये गये आवेदन पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रथिपि0 2 के अनुसार घटना दिनांक की रात्रि को परिवादी बृजभान (प0सा0—2) खाना खाकर घर पर ही सोना बताता है। अतः ऐसे में घटना दिनांक को परिवादी खेत पर था अथवा घर पर था इस संबंध में इस साक्षी के न्यायालीन कथन एवं प्र0पी0 2 व पुलिस को दिये गये कथनों में गंभीर विरोधाभास की स्थित है।
- 22— पुलिस को दिये गये कथनों में बृजभान (प0सा0—2) सिहत राजेश लोधी (प0सा0—1) व रमेश (प0सा0—3) का यह कहना है कि रात्रि में अभियुक्त को कमरे से बक्सा ले जाते हुये राजेश लोधी (प0सा0—1) ने देखा था, जिसमें अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास भी किया था परन्तु वह भाग गया था, जिसकी सूचना रात्रि में ही परिवादी बृजभान सिंह (प0सा0—2) को मिल गयी थी। परन्तु ऐसी कोई घटना का उल्लेख परिवाद पत्र, प्र0पी0 2 की रिपोर्ट एवं स्वंय परिवादी बृजभान सिह (प0सा0—2) के न्यायालीन कथनों में नही है। यदि वास्तविकता में राजेश लोधी (प0सा0—1) के द्वारा न्यायालय में बतायी गयी घटना सत्य होती, तो राजेश लोधी (प0सा0—1) एवं रमेश लोधी (प0सा0—3) के कथनों में विरोधाभास नही होता और उक्त घटना की पुष्टि बृजभान सिंह (प0सा0—2) के द्वारा की गयी होती तथा थाने पर दूसरे दिन दिये गये आवेदन में संदेह ही के तौर पर अभियुक्त संग्राम सिह का नाम लेख नही कराया गया होता। अतः अभिलेख पर इस आशय की कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नही है कि जो यह साबित करती हो कि घटना दिनांक की रात्रि को अभियुक्त को किसी ने भी परिवादी के कमरे में प्रवेश करते हुये या उसे बक्सा लेकर रात्रि में बाहर निकलते हुये देखा था।

विचारणीय प्रश्न कमांक 3, 4 व 5 का विवेचना एवं निष्कर्ष:—

23— बृजभान सिंह (प0सा0—2) का अपने प्रतिपरीक्षण किण्डिका एक में कहना है कि उसका जो माल चोरी हुआ था वह जहार सिंह के खेत में डला हुआ मिला था। प्रतिपरीक्षण की किण्डिका पांच में इस साक्षी का कहना है कि उसका चोरी हुआ सामान लगभग 16 दिन बाद खेत पर डला हुआ मिला था। राजेश लोधी (प0सा0—1) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण किण्डिका छः में यह व्यक्त किया है कि चोरी गया सामान हंसराज और थान सिंह के खेत में पड़ा मिला था तथा पुलिस ने मौके पर पहुचकर बक्सा खोला था, इसी प्रकार रमेश लोधी (प0सा0—3) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की किण्डिका पांच में यह कथन दिये है कि जब पुलिस मौके पर आयी थी तो बक्सा थान सिंह के खेत में डला हुआ मिला था जिसमें किताबें मिली थी और कुछ सामान नहीं मिला था। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की किण्डिका छः

में यह स्वीकार किया है कि उसके सामने अभियुक्त के घर से चोरी का बक्सा बरामद नहीं हुआ तथा बक्सा थान सिंह के खेत में मिला था।

- 24— परिवादी द्वारा कथित चोरी गया बक्सा भी अभियुक्त के अधिपत्य से या उसकी निशानदेही पर जप्त नही हुआ बल्कि परिवादी बृजभान सिंह (प0सा0—2), रमेश लोधी (प0सा0—3) एवं राजेश लोधी (प0सा0—1) में स्वयं अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त बक्सा लावारिस हालत में थानसिंह के खेत पर डला हुआ मिला था। जिस स्थान पर यह लोग बक्सा पड़ा होना बता रहे हैं, वह खेत भी अभियुक्त का नही है। अतः अभिलेख पर आयी साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त के अधिपत्य से या उसकी निशानदेही पर परिवादी के द्वारा कथित चोरी का सामान बरामद नही हुआ।
- 25— परिवादी बृजभान सिंह (प0सा0—2) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका तीन में बचाव पृक्ष के सुझाव का हालांकि खण्डन किया है कि आगरा के गुनिया के बताये अनुसार शंका के आधार पर परिवादी अभियुक्त का नाम ले रहा हैं परन्तु स्वयं रमेश (प0सा0—3) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका छः में यह स्वीकार किया है कि बृजभान सिह (प0सा0—2) चोरी की जानकारी लगाने के लिये गुनिया के पास गया था। यदि राजेश लोधी (प0सा0—1) एवं रमेश लोधी (प0सा0—3) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों में लेशमात्र भी सत्यता होती तो परिवादी को चोर का पता लगाने के लिये गुनिया के पास जाने की या संदेही के तौर पर अभियुक्त के नाम का आवेदन थाने पर देने की आवश्यकता ही नही होती।
- 26— बचाव पक्ष की ओर से राजेश लोधी (प0सा0—1) के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका छः में सुझाव के माध्यम से यह प्रतिरक्षा ली गयी है कि अभियुक्त और राजेश लोधी शराब बेचने का काम करते थे और जब अभियुक्त संग्राम सिंह ठेकेदार की शराब बेचने लगा तो उसे झूठा फंसाने के लिये यह झूठी कार्यवाही की गयी। अभियुक्त शराब बेचने का काम करता है। यह स्वयं परिवादी ने एवं राजेश लोधी (प0सा0—12) ने स्वीकार किया है। पुलिस के द्वारा जांच में लिये गये कथनों के आधार पर प्रस्तुत प्रतिवेदन में भी परिवाद पत्र की घटना झूठी पायी गयी है। परिवादी सहित साक्षियों के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन एव प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर भी अभियुक्त के विरुद्ध कोइ विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। अतः ऐसे में बचाव पक्ष के द्वारा ली गयी उपरोक्त प्रतिरक्षा को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है।
- 27— परिवादी का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका तीन में स्वयं यह कहना है कि जहां वह रहता है वो मकान अलग है तथा जहा चोरी हुयी थी वो मकान अलग है। बृजभान (प0सा0-2) का यह भी कहना है कि जिस घर से चोरी हुयी थी, उसमें कोई नही रहता है उसमें वह केवल खेती का सामान रखता हैं। अतः यह उल्लेखनीय हे कि जिस घर में कोई नही रहता है उस घर में परिवादी घर का जेवर, नगद बीस हजार रूपये व साडियां आदि संपत्ति क्यों रखेगा, यह समझ से परे हैं। क्योंकि आज के समय में व्यक्ति अपने घर की कीमती वस्तुयें जिस घर में वह स्वयं रहता है वहीं छिपाकर रखता है। किसी दूसरे घर में परिवादी मूल्यवान संपत्ति रखेगा जहां कोई न रहता हो तथा खेती का सामान ही रखा जाता हों, इस पर किसी सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के लिये विश्वास करना कठिन है।

- 28— अभिलेख पर आयी साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक की रात्रि को अभियुक्त को किसी ने भी परिवादी के कमरे का ताला तोड़कर उसमें प्रवेश करते हुये देखा था या कमरे से बक्सा लेकर निकलते हुये देखा था। अभिलेख पर आयी साक्ष्य से यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि परिवादी का चोरी गया बक्सा व उसमें रखा सामान अभियुक्त के अधिपत्य से या उसकी निशानदेही पर जप्त हुआ था। अतः ऐसे में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। बचाव पक्ष के द्वारा ली गयी प्रतिरक्षा एवं पुलिस द्वारा की गयी जांच को दृष्टिगत रखते हुये, इन सब का लाभ अभियुक्त को दिया जाना न्यायोचित होगा।
- 29— फलस्वरूप अभिलेख पर आयी साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि दिनांक 31.01.2013 एवं 01.02.2013 की दरिमयानी रात में अभियुक्त ने परिवादी बृजभान सिह लोधी के घर स्थित ग्राम गोरा सहरई में सूर्य अस्त के पश्चात् तथा सूर्य उदय से पूर्व प्रवेश करके रात्रों गृहभेदन कर परिवादी के कब्जे से घर का ताला तोडकर कर एक पेटी जिसमें भू—अधिकार ऋण पुस्तिकाये, चार रिजस्टिरयां बंदूक लाइसेंस नवीनीकरण, रसीद बैंक की जमा रसीद, कॉपरेटिव बैंक के खाते की किताब, मोटर साइकिल, चॉदी की पायले वजन करीबन आधा किलोठ कर धोनी, आठ आने के सोने के दो मंगलसूत्र जिनमें एक टूटा हुआ था, साडियां एवं 20000/— रूपये नगद की चोरी कारित की।
- 30— फलस्वरूप अभियुक्त संग्राम सिंह पुत्र मेहरबान सिंह लोधी के विरूद्ध भा०दं०वि० की धारा— 457, 380 के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्त संग्राम सिंह पुत्र मेहरबान सिंह लोधी को भा०दं०वि० की धारा— 457, 380 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 31— <u>अभियुक्त संग्राम सिंह पुत्र मेहरबान सिंह लोधी</u> के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। अभियुक्त का धारा—428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)